## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
## पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 67 / 2018

| वादी | बनाम | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| लालसिंह पुत्र श्री भंवरसिंहजी, जाति राजपूत, निवासी ग्राम पिपरली, तहसील लूणी, जिला जोधपुर । | | 01. रतनाराम पुत्र श्री दीपारामजी,<br>02. पेमाराम पुत्र श्री दीपारामजी,<br>03. फरसाराम पुत्र श्री दीपारामजी,<br>04. पप्पाराम पुत्र श्री दीपारामजी,<br>05. बाबुराम पुत्र श्री दीपारामजी,<br>06. राहीदेवी पत्नि श्री दीपारामजी,<br>07. मांगीदेवी पुत्री श्री दीपारामजी,<br>08. बीकादेवी पुत्री श्री दीपारामजी,<br>09. झमकुदेवी पत्नि श्री माधारामजी,<br>10. नारायणराम पुत्र श्री माधारामजी,<br>11. किरण पुत्री श्री माधारामजी,<br>12. करणाराम पुत्र श्री गेपररामजी,<br>13. ओमप्रकाश पुत्र श्री वीरमारामजी,<br>सभी जातियान, जाट, निवासीगण ग्राम उत्तरार तहसील लूणी, जिला जोधपुर ।<br>14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी । |

### दावा वास्ते बंटवाड़ा अर्न्तगत धारा 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितिः—

01. वादी की और से अधिवक्ता श्री प्रेमकुमार देवड़ा ।

02. प्रतिवादीगण की और से अधिवक्ता श्री अशोक चौधरी ।

आदेश

दिनांक :– 18/9/2020

पत्रावली आज पेश हुई । प्रकरण में बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार करने हेतु आदेश पारित किया जाकर वाद में प्राथमिक डिक्री जारी की गयी जिस पर तहसीलदार लूणी द्वारा ग्राम तजालिया, तहसील लूणी, जिला जोधपुर के खसरा संख्या 72 कुल रकबा 44 बीघा 18 बिस्वा का बंटवाड़ा प्रस्ताव तहसीलदार लूणी के क्रमांक / भू.अ. / 2020 / 5559 दिनांक 28.07.2020 को तैयार कर प्रस्तुत किया गया ।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

प्रकरण में बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया । बंटवाड़ा प्रस्ताव की मौका फर्द दिनांक 13.07.2020 अनुसार ग्राम तजालिया, तहसील लूणी, जिला जोधपुर के खसरा संख्या 72 कुल रकबा 44 बीघा 18 बिस्वा भूमि के सहखातेदारों के रूबरू बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार किया गया जिसके अनुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव निम्न अनुसार हैं :-

| क्र.सं. | खातेदार | खसरा नं. | रकबा(बीघा) | लगान |
|---|---|---|---|---|
| 01 | रतनाराम, पेमाराम, फरसाराम, पपाराम, बाबुराम पि. दीपाराम, राहीदेवी पत्नि दीपाराम, मांगीदेवी, बीकादेवी पुत्रीयां दीपाराम, झमकुदेवी पत्नि माधाराम, नारायणराम पुत्र माधाराम, किरण पुत्री माधाराम, करनाराम पुत्र गेपरराम, जातियान जाट, सा. उत्तेरार हि. 40.19.08 बीघा ओमप्रकाश पुत्र वीरमराम, जाति जाट, हि. 01.10 बीघा सा. उत्तेसर। | 72 | 42.09.08 बीघा | 8.07 |
| 02. | रतनाराम, पेमाराम, फरसाराम, पपाराम, बाबुराम पि. दीपाराम, राहीदेवी पत्नि दीपाराम, मांगीदेवी, बीकादेवी पुत्रीयां दीपाराम, झमकुदेवी पत्नि माधाराम, नारायणराम पुत्र माधाराम, किरण पुत्री माधाराम, करनाराम पुत्र गेपरराम, जातियान जाट, सा. उत्तेसर हि. 0.07.12 बीघा लालसिंह पुत्र भंवरसिंह, जाति राजपूत सा. पिपरली, हि. 0.00.08 बीघा | 72/1 | 0.08 बीघा (रास्ते हेतु प्रयुक्त होगी) | 0.08 |
| 03. | लालसिंह पुत्र भंवरसिंह, जाति राजपूत, सा. पीपरली । | 72/2 | 02.00.12बीघा | 0.38 |

उपरोक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हिस्से अनुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया हैं तथा उक्त बंटवाडा प्रस्ताव की मौका फर्द में उपरोक्त हिस्से अनुसार नजरी नक्शा भी मौके पर काबिज अनुसार तथा हिस्से अनुसार दर्शाया गया

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

हैं ऐसी स्थिति में वादी का वाद बंटवाड़ा प्रस्ताव की मौका फर्द दिनांक 13.07.2020 अनुसार स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता हैं ।

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर आदेश पारित किया जाता हैं कि ग्राम तजालिया, तहसील लूणी, जिला जोधपुर के खसरा संख्या 72 कुल रकबा 44 बीघा 18 बिस्वा कृषि भूमि के सम्बन्ध में बंटवाड़ा प्रस्ताव की मौका फर्द दिनांक 13.07.2020 में दर्शाये गये हिस्से अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाता हैं । मौका फर्द दिनांक 13.07.2020 इस आदेश का अभिन्न अंग समझी जावेंगी । तहसीलदार लूणी वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्से अनुसार मौका फर्द बंटवाड़ा प्रस्ताव में दर्शाये गये हिस्से अनुसार अलग अलग बटटा नं0 दर्ज करते हुएं राजस्व रेकर्ड में आवश्यक इन्द्राज कर नक्शें में अलग अलग तरमीम दर्ज करें । तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो ।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी
(गोपाल परिहार)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

निर्णय आज दिनांक 18/9/2020 को बसरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया । पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफतर हो ।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी
(गोपाल परिहार)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

Scanned by CamScanner